

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-४
संख्या ५२७/२०१७/९(१२०)/XXVII(८)/२०१७
देहरादूनः दिनांकः २९ जून, २०१७

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का ०६) की धारा ५४ के उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के प्रमाणे में यह अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का ०६) की धारा ५४ की उपधारा (३) के अधीन आनुपगोजित इनाम कर प्रत्यय के प्रतिदाय को उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची २ की गद ५ की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में अवृज्ञात नहीं किया जाएगा।


२. यह अधिसूचना १ जुलाई, २०१७ से प्रवृत्त होगी।

(राजा राम नाथ)
प्रमुख समिति

राजा ५२७/२०१७/९(१२०)/XXVII(८)/२०१७ तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- आमुक कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि ने अपने रतर रो समिति अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- निवेदक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, ऊँड़ी गिला डरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/बांगड़ी प्रतियों इस आशय से प्रेषित फी इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये १००-१०० परियों वित अनुभाग-४ में अयिलम्ब उपलब्ध करा दे।
- भाष अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- अप सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- एनआईसी०
- गार्ड फाईल हेहु।

आमुक रो.

(राजा राम नाथ)
अनुसूचना

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. ~~528~~ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

**Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. ~~528~~ 2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 29 June, 2017**

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council is pleased to allow to notify that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed under sub-section (3) of section 54 of the said Uttarakhand Goods and Services Tax Act, in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(Rajesh Raturi)
Principal Secretary